भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2471
दिनांक 10.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन की समीक्षा

2471 श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रगति की समीक्षा की है;
(ख) कितने परिवारों को नल से जल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;
(ग) क्या किन्हीं राज्यों में विलंब की सूचना मिली है; और
(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) 'पेयजल' राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार केवल तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की मदद करती है।

देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए, भारत सरकार, राज्यों की भागीदारी से, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है।

जेजेएम की घोषणा के समय, देश में लगभग 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 18.07.2026 तक सूचित किए गए अनुसार, लगभग 12.65 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.89 करोड़ (82%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना है।

विभाग मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर चयनित एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता का मूल्यांकन करता है। कार्यशीलता मूल्यांकन, 2024 के दौरान, यह पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए गांवों में

98.1% परिवारों के पास नल कनेक्शन थे; नल कनेक्शन वाले 87% परिवारों ने पिछले सप्ताह में जल प्राप्त करने की सूचना दी, जो समग्र प्रगति का संकेत है; 84% परिवारों को अनुसूची के अनुसार जल मिलता है; 80% परिवारों को न्यूनतम 55 एलपीसीडी जल मिलता पाया गया; 76% परिवारों के जल नमूने बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण से मुक्त पाए गए और 81% परिवारों के जल नमूने आपूर्ति स्रोत के रासायनिक संदूषण से मुक्त पाए गए तथा मात्रा, गुणवत्ता तथा नियमितता के मापदंडों पर विचार करते हुए, 76% पारिवारिक नल कनेक्शन कार्यशील पाए गए।

इसके अलावा, मार्च 2026 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़े हुए परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पुनर्गठित कार्यान्वयन ढांचे को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) राज्यों ने सूचित किया है कि जल संकटग्रस्त, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाने, प्रबंधन, संचालन एवं रखरखाव करने संबंधी तकनीकी क्षमता की कमी, कच्चे माल की बढ़ती कीमत, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में देरी आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ समस्याएं हैं।

समग्र रूप से चुनौतियों का समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पूंजी निवेश परियोजनाओं हेतु 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता के लिए वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन; राज्यों को सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय कर विभाग में एक नोडल अधिकारी का नामांकन; तकनीकी *कौशल सेटों की उपलब्धता में अंतर को पाटने के लिए ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य* कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना तथा नल जल मित्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल है।

इसके अलावा, मिशन के तहत, राज्यों को अन्य योजनाओं जैसे वीबी जी-राम-जी, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), वित्त आयोग का आरएलबी/पीआरआई को सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि के सामंजस्य में स्रोत पुनर्भरण जैसे कि समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का कायाकल्प, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग, आदि करने की सलाह भी दी गई है।
